

न्यूज़ टुडे

विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (DRPSC) ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

यह रिपोर्ट शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (DRPSC) ने प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की समीक्षा की गई है।

» स्वायत्त निकायों की स्थापना या तो संसद के एक विशिष्ट अधिनियम के माध्यम से की जाती है, या फिर सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत समितियों के रूप में की जाती है।

स्वायत्त निकायों जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे

» राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA): ऐपर लीक मामला (जैसे- NEET-UG), परीक्षाओं को स्थगित करना (जैसे- CUET), परीक्षा परिणामों की घोषणा में देरी, बाहरी एजेंसियों की सेवा लेना (वेंडर प्रबंधन) आदि।

» राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC): प्रत्यायन (accreditation) की लंबी और नौकरशाही वाली प्रक्रिया, भ्रष्टाचार के आरोप आदि।

» विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): अध्यक्ष का पद रिक्त होना, मसौदा यूजीसी विनियम, 2025 को अंतिम रूप देने में देरी, अवसंरचना की कमी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) संकाय (faculty) भर्ती।

» भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR): ICHR के लिए वर्तमान बजट अपर्याप्त रहता है।

» भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR): सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू न होना, कर्मचारियों की कमी आदि।

रिपोर्ट के अनुसार सिफारिशें


» NTA: परीक्षा की व्यवस्था, प्रशासन और सुधार में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए; परीक्षा का समय पर आयोजन करना चाहिए; पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन परीक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए आदि।

» NAAC: उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (HEIs) के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए; आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए प्रत्यायन में लचीलापन लाना चाहिए आदि।

» UGC: अति शीघ्र नए अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए; मसौदा विनियमों को अंतिम रूप देना चाहिए (जिसमें जाति-आधारित उत्पीड़न, दिव्यांगता आदि को शामिल किया जाए) आदि।

» ICHR: परिषद के लिए बजट बढ़ाना चाहिए, अवसंरचना का उन्नयन करना चाहिए आदि।

» ICSSR: वेतन समानता सुनिश्चित करनी चाहिए; पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए आदि।



भारत ने बिंग-कैट्स पर्यावास वाले देशों से 'इंटरनेशनल बिंग कैट अलायंस (IBCA)' में शामिल होने का आग्रह किया

भारत ने बड़ी विडाल प्रजातियों (बिंग कैट्स) के पर्यावास वाले सभी देशों से वैश्विक बिंग कैट्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होना है। इंटरनेशनल बिंग कैट अलायंस (IBCA) के बारे में

» स्थापना: IBCA की शुरुआत 2023 में भारत द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य सात बड़ी विडाल प्रजातियों यानी बिंग कैट्स का संरक्षण है।

Θ ये सात विडाल प्रजातियां हैं: बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर।

» संगठनात्मक स्वरूप: IBCA बहुराष्ट्रीय और बहु-एजेंसी गठबंधन है। इनमें बिंग कैट पर्यावास वाले 95 देश, संरक्षण में अभियाचि रखने वाले बिंग पर्यावास वाले देश, संरक्षण साझेदार, वैज्ञानिक संस्थान, व्यावसायिक समूह और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

» सचिवालय: नई दिल्ली (भारत)।

» वर्तमान सदस्य: 18 सदस्य देश और 3 पर्यवेक्षक देश।

Θ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इस संगठन का सदस्य बनने के लिए पात्र हैं।

» प्रशासन: IBCA असेंबली, IBCA की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

बिंग कैट्स (बड़ी विडाल प्रजातियों) के बारे में

» सात बिंग कैट्स में पांच प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली बिंग कैट्स प्रजातियां हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता।

» सभी बिंग-कैट्स प्रजातियां आम तौर पर अकेले रहती हैं। हालांकि, शेर समूह में रहते हैं जिसे 'प्राइड' कहा जाता है।

» पारिस्थितिक हाइकोण से महत्व

Θ ये प्रजातियां अपने पारिस्थितिकी तंत्र की शीर्ष शिकारी होती हैं। इन प्रजातियों का अस्तित्व पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं।

Θ ये कीस्टोन प्रजातियां हैं।

◆ ये शाकाहारी जानवरों की संख्या को नियंत्रित करके वनस्पतियों के विनाश को रोकती हैं और वनस्पतिक विविधता बनाए रखती हैं।

◆ ये बीज खाने वाले पक्षियों और अन्य स्तनपायियों का शिकार करके क्षेत्र में बीजों के वितरण में मदद करती हैं और वनों की सततता सुनिश्चित करती हैं।

Θ इन प्रजातियों के सुरक्षित पर्यावास महत्वपूर्ण कार्बन सिंक होते हैं। इस तरह ये पर्यावास जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं।

Θ ये अपने पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख प्रजातियां (Flagship species) हैं। इसका तात्पर्य है कि इन प्रजातियों के संरक्षण से इनके पर्यावास में रहने वाली अन्य कई प्रजातियों का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।

» मुख्य खतरे

Θ वनों की कटाई, शहरीकरण और भूमि उपयोग में बदलाव से इनके पर्यावास नष्ट हो रहे हैं। इससे ये प्रजातियां मानव बस्तियों की ओर रुख कर रही हैं जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है।

भारत में संसद के कार्य संचालन में व्यवधान

15 दिवसीय शोतकालीन सत्र, 2014 के बाद से चौथा सबसे छोटा सत्र रहा। इस सत्र की शुरुआत ही तत्काल व्यवधानों के साथ हुई। यह संसद के कार्य संचालन में संस्थागत (यानी एक तरह के नियमित) व्यवधान के एक दीर्घकालिक तथा लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले पैटर्न को दर्शाता है।

- कमज़ोर संस्थागत प्रवर्तन और पीठासीन अधिकारियों की आम सहमति के बिना कार्य करने की अनिवार्य अनुशासन एवं प्रभावी कार्य संचालन को बाधित करते हैं।

संसद के कार्य संचालन में व्यवधान का विश्लेषण (17वीं लोक सभा)

- बैठकों की कम होती संख्या: संसद ने केवल 274 बैठकें की, जो पिछली सभी पूर्ण-अवधि की लोक सभाओं की तुलना में कम है।
- समिति द्वारा जांच में कमी: केवल 16% विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा गया था। यह पिछली 3 लोक सभाओं की तुलना में सबसे कम है।
- वाद-विवाद की गुणवत्ता: लोक सभा के समय का 31% और राज्य सभा के समय का 32% गैर-विधायी चर्चाओं में व्यतीत हुआ है।
- बजट की जांच में कमी: 2019 और 2023 के बीच लगभग 80% केंद्रीय बजट बिना बहस के स्वीकृत किए गए थे।

आगे की राह

- सर्वदलीय आचार संहिता: परस्पर सहमति से स्वीकृत एक फ्रेमवर्क अपनाना चाहिए, जो स्वीकार्य विरोध प्रदर्शनों और आनुपातिक अनुशासनात्मक उपायों को निर्धारित करे।
- सांविधिक निश्चित संसदीय कैलेंडर: बैठकों के लिए पर्याप्त दिनों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी रूप से अनिवार्य वार्षिक अनुसूची तैयार करनी चाहिए।
- जवाबदेही तंत्र को बढ़ाना: प्रश्नकाल और शून्यकाल को व्यवधान से सुरक्षित करना चाहिए। साथ ही, बजट के दौरान अनुदान की मार्गों पर चर्चा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- संसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करना: सदस्यों की उपस्थिति, वाद-विवाद और विधेयकों की पारदर्शी ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।



ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की

संसदीय समिति ने भारत की सौर ऊर्जा क्षमता, सौर ऊर्जा संयंत्रों का प्रदर्शन तथा परियोजनाओं की प्रगति में बाधा बनने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन किया।

समिति द्वारा रेखांकित समस्याएं और सुझाव

टेक्सांकित समस्याएं	समिति के सुझाव
भूमि अधिग्रहण में देटी, जिससे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समय पर विकास प्रभावित होता है	सिंगल विडो क्लियरेंस प्रणाली विकसित की जाए ताकि परियोजनाओं पर निर्णय लेने के लिए केंद्र और राज्य के सभी संबंधित विभागों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके।
वन और वन्यजीव पर्यावास वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्वीकृति देने की लंबी प्रक्रिया	विद्युत द्रांगमिशन परियोजना से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाए। वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सभी प्राधिकरणों को इस पोर्टल से जोड़ा जाए।
ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में 'राइट ऑफ वे (ROW)' मुआवजा से जुड़े विवाद	राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे नई बाजार दर पर 'राइट ऑफ वे' मुआवजा संबंधी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश को अपनाएं। इससे गैर-जीवाश्म ऊर्जा की सहज तरीके से आपूर्ति संभव हो सकेगी।
उच्च ऊर्जा-भंडारण (स्टोरेज) क्षमता वाली सुविधाओं की कमी	प्रमुख शोध संस्थानों को ऊर्जा भंडारण पर शोध और विकास (R&D) के लिए विशेष पूँजी अनुदान प्रदान किए जाएं।
घटेलू विनिर्माण क्षमता की कमी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) तकनीक पर R&D और मानव संसाधन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त वित्त-पोषण उपलब्ध कराया जाए।
सौर ऊर्जा विकास में क्षेत्रीय असमानता	उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा दिया जाए जहां सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता अधिक होने के बावजूद स्थापित क्षमता कम है। इसके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता समय पर जारी की जाए, नियमित निगरानी की जाए, और समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

भारत में सौर ऊर्जा का वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान में भारत की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 116 गीगावाट (GW) है। 2030 तक इसे 292 GW करने का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत के सौर-ऊर्जा क्षमता मानचित्र के अनुसार, देश में कुल 748.98 गीगावाट पीक (GWp) की संभावित सौर ऊर्जा क्षमता है।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई प्रमुख पहलें:
 - ⊕ पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
 - ⊕ पीएम-कुसुम (PM-KUSUM)
 - ⊕ सौलर पार्क का विकास आदि।

उच्चतम न्यायालय ने राज्य बार काउंसिल्स में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य बार काउंसिल्स (जहां अभी चुनाव अधिसूचित होने हैं) में 30% सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

► वर्तमान वर्ष के लिए, न्यायालय ने 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव द्वारा और 10% सीटें सह-विकल्प (co-option) द्वारा भरी जाने का आदेश दिया।

- ④ **सह-विकल्प:** यह वह प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी संगठन/ समूह/ परिषद की सदस्यता के लिए मौजूदा सदस्यों के आमंत्रण पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है।

बार काउंसिल के बारे में

► अधिवक्ता अधिनियम, 1961 भारत की बार काउंसिल (BCI) और प्रत्येक राज्य में राज्य बार काउंसिल्स (SBCs) की स्थापना का प्रावधान करता है।

► SBCs पात्र व्यक्तियों को अपनी सूची में अधिवक्ता के रूप में नामांकित करती हैं और उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं हितों की रक्षा करती है। इसके विपरीत, BCI व्यावसायिक आचरण के मानक निर्धारित करती है तथा SBCs का पर्यवेक्षण करती है और नियंत्रण रखती है।

न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति

► वर्तमान में, 20 सदस्यीय BCI में कोई महिला सदस्य नहीं है, जबकि SBCs में, 441 प्रतिनिधियों में से केवल 9 महिलाएं हैं।

► स्वतंत्रता के बाद से उच्चतम न्यायपालिका में, उच्चतम न्यायालय में केवल 11 महिला न्यायाधीश रही हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में केवल 13.4% न्यायाधीश महिलाएं हैं।

► न्यायपालिका की स्थिति रिपोर्ट (2023) में रेखांकित किया गया है कि जिला न्यायपालिका में 36.3% महिलाएं हैं।

न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधाएं

- प्रवेश स्तर की बाधाएं: राज्यों में न्यायिक सेवा नियम लगातार कानूनी अभ्यास की मांग करते हैं। यह महिलाओं के लिए अक्सर पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कठिन होती है।
- वकालत पेशे में बने रहने से जुड़ी चुनौतियां: कठोर स्थानांतरण नीतियों और सहायक संरचनाओं की कमी से करियर की प्रगति बाधित होती है।
- अवसंरचना संबंधी कमियां: न्यायालयों में अक्सर महिलाओं के लिए अलग शौचालय, क्रेच सुविधाएं और परिवार के अनुकूल कक्षों की कमी होती है।
- सांस्कृतिक मानदंड: पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं के न्यायपालिका में प्रवेश को रोकते हैं।

अन्य सुर्खियां



भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)

प्रस्तावित भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025 का शिक्षाविदों के साथ-साथ छात्रों ने भी सख्त विरोध किया।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के बारे में

- स्थापना: 1931 में।
- संस्थापक: प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो भारत के महान तम सांख्यिकीविदों में से एक थे।
- पंजीकरण: सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अप्रैल 1932 में। बाद में 1961 के पश्चिम बंगाल सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम के तहत पुनः पंजीकृत किया गया था।
- राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा: इसे संसद के 1959 के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ था।
- मुख्यालय: कोलकाता।
- उद्देश्य:
 - ⊕ सांख्यिकी विज्ञान और इसके अंतर्विषयक अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाना।
 - ⊕ गणित, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- योगदान:
 - ⊕ इसने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के विकास में योगदान दिया;
 - ⊕ भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली, नियोजन और आर्थिक मॉडलिंग की नींव रखी आदि।



कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFÉ) मानदंड

भारत के प्रस्तावित CAFÉ III मानदंडों को वैश्विक एजेंसियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

CAFÉ मानदंडों के बारे में

- अधिसूचित: इन्हें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- चरण: पहला चरण: 2017-18 में तथा दूसरा चरण: 2022-23 में लागू किया गया था।
- उद्देश्य: CO₂ उत्सर्जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करना। इससे तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।
- लागू: पेट्रोल, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG), सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक यात्री वाहन जिनका सकल वाहन भार (GVW) <3500 किलोग्राम है।



सुनामी

उत्तरी जापान के निकट एक शक्तिशाली 7.5 तीव्रता के भूकंप ने सुनामी को सक्रिय किया।

सुनामी के बारे में

- अर्थ: सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है, जो आमतौर पर जल के भीतर भूकंप, जल के भीतर या तटीय भूस्खलन, या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है।
- घटना: प्रशांत प्रविष्ट श्लेष (Subduction zone) विश्व के 90% भूकंप/ सुनामी उत्पन्न करते हैं। इन क्षेत्रों को “रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय” कहा जाता है।



ब्रह्मांडीय तंतु (Cosmic filaments)

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लगभग 50 मिलियन प्रकाश-वर्ष लंबे एक ब्रह्मांडीय तंतु की खोज की है। शोधकर्ताओं ने कम-से-कम 14 आकाशगंगाओं के माध्यम से इस तंतु का अवलोकन किया है।

ब्रह्मांडीय तंतु के बारे में

- ब्रह्मांडीय या आकाशगंगा तंतु ब्रह्मांड के खगोलीय जाल (Cosmic Web) में सबसे बड़ी रेशेनुमा संरचना हैं।
- एकल ब्रह्मांडीय तंतु एक ऐसी संरचना है, जो करोड़ों प्रकाश-वर्ष तक फैली हुई होती है। यह संरचना गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस, डार्क मैटर और आकाशगंगाओं के लंबी व पतली धारेनुमा श्रृंखला में जुड़ी रही है। इस प्रकार, यह आकाशगंगाओं के विशाल समूहों को जोड़ती है।
- ये तंतु बड़े व खाली अंतरिक्ष क्षेत्रों को भी घेरते हैं, जिन्हें रिक्तियां (Voids) कहा जाता है।
- ब्रह्मांड विज्ञान में महत्व:
 - ⊕ खगोलविदों को आकाशगंगा निर्माण और वितरण का अध्ययन करने में मदद करते हैं।
 - ⊕ सघन क्षेत्रों में पदार्थ को भेजने वाले मार्गों के रूप में कार्य करते हैं। इससे आकाशगंगाओं के समूहों का विकास प्रभावित होता है।



मायलोमा (Myeloma)

एक प्रतिरक्षा और कैंसर कोशिका-लक्ष्यीकरण एंटीबॉडी थेरेपी ने मल्टीपल मायलोमा के अवशिष्ट निशानों को हटाने की क्षमता प्रदर्शित की।

मायलोमा के बारे में

- अर्थः यह अस्थि मज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर है।
- ⊕ प्लाज्मा कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं।
- लक्षणः रीढ़/ छाती/ कूल्हों की हड्डियों में दर्द, थकावट, संक्रमण, मतली, कब्ज, वजन घटना, बार-बार पेशाब आना, भ्रम होना आदि।



बायोस्टिमुलेंट्स (Biostimulants)

बायोस्टिमुलेंट्स संधारणीय भारतीय कृषि के लिए एक हरित समाधान प्रदान करते हैं।

बायोस्टिमुलेंट के बारे में

- बायोस्टिमुलेंट एक ऐसा पदार्थ, सूक्ष्मजीव या मिश्रण है, जो पोषक तत्वों की मात्रा से स्वतंत्र होकर पौधों की प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर उनके विकास में मदद करता है।
- कार्यः
 - ⊕ यह पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग की क्षमता में सुधार करता है;
 - ⊕ पौधों की सूखा या गर्मी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ाता है;
 - ⊕ फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है और
 - ⊕ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ अनुकूलता का समर्थन करता है।
- विनियमनः उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO), 1985 के तहत विनियमित।
- महत्वः
 - ⊕ बेहतर पोषक तत्व-उपयोग दक्षता बढ़ाता है;
 - ⊕ मृदा कार्बन पृथक्करण में योगदान करता है;
 - ⊕ उच्च जलवायु अनुकूलनशीलता प्रदान करता है;
 - ⊕ मृदा की सूक्ष्मजीव विविधता का समर्थन करता है;
 - ⊕ एक चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था में योगदान देता है आदि।



UHC ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2025

यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व बैंक समूह ने संयुक्त रूप से जारी की है। इस रिपोर्ट में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में प्रगति का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- सेवा कवरेज सूचकांक (SCI) द्वारा मापन की गई स्वास्थ्य सेवा कवरेज, 2000 और 2023 के बीच 54 से 71 अंकों तक बढ़ी है।
- आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले लोगों का हिस्सा 2000 और 2022 के बीच 3.4% से घटकर 26% हो गया है।
- ⊕ आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय का अर्थ स्वास्थ्य देखभाल पर स्वयं से खर्च करना होता है। बड़ी विमारियों के मामले में यह कई बार बहुत अधिक हो जाता है और निर्धन भी बना देता है।
- हालांकि, 4.6 बिलियन लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं नहीं मिल रही है। 2.1 बिलियन लोग वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1.6 बिलियन लोग निर्धन होने की कगार पर आ गए हैं या और अधिक निर्धन हो गए हैं।



पराली दहन की स्थिति रिपोर्ट, 2025

रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत की वर्तमान उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणालियां अपनी सीमित अवलोकन विंडो के कारण वास्तविक दहन का केवल एक अंश ही दर्ज कर पा रही है।

- यह निगरानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के नेतृत्व में कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (CREAMS) के तहत की जा रही है। यह मुख्य रूप से MODIS और VIIRS भूवीय-परिक्रमा उपग्रहों पर निर्भर करती है।
- ⊕ MODIS: मॉडरेट रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर।
- ⊕ VIIRS: विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुदृढ़।
 - ◆ ये दोनों उपग्रह-आधारित सेंसर्स हैं, जो सक्रिय आगजनी, वनस्पति और पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी करते हैं।
 - ◆ ये उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के परिक्रमा करते हैं और भारत का दिन के केवल निश्चित समय पर (सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे) तक अवलोकन करते हैं।

सुर्खियों में रहे स्थल



कंबोडिया (राजधानी: नोम पेन्ह)

हाल ही में, थाईलैंड ने कंबोडिया में हवाई हमले किए।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह आसियान/ ASEAN (दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ) का एक सदस्य है।
- भूमि सीमा: वियतनाम (पूर्व और दक्षिण-पूर्व में); लाओस (उत्तर-पूर्व में) और थाईलैंड (उत्तर-पश्चिम में)।
- सीमावर्ती जल निकाय: थाईलैंड की खाड़ी (दक्षिण-पश्चिम)।

भौगोलिक विशेषताएं

- प्राकृतिक संसाधन: तेल एवं गैस, इमारती लकड़ी, रत, लौह अयस्क, मैग्नीज, फॉस्फेट आदि।
- सबसे बड़ी झील: टोनले सैप झील। यह दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
- प्रमुख पर्वत: डांगरेक, क्रैवन्ह (कार्डामम) और डैमरेई। नोम ऑरल सबसे ऊँची चोटी है।
- प्रमुख नदियाँ: मेकोंग, टोनले सैप आदि।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर